A 6/1

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 60 / अपील / 2023 (GCMS No. 2023 / 223)	07.11.2023	12.03.2024

श्री ओम प्रकाश मीणा आ. मंशीराम मीणा
उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत धोवडा,
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज0)

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, बून्दी

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, बून्दी
निर्णय दिनांक 22.08.2023 प्रकरण संख्या 04 / 2023

उपस्थितः–

1. अपीलांट की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट ।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार (रसद) ।

:: निर्णय ::

अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2023 से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 इस न्यायालय में संस्थित की है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसे बहाल करवाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 60 / 2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023 / 223 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। जिला रसद अधिकारी बून्दी के पत्र दिनांक 12.12.2023 से मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

जिला कलक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि अपीलांट ओमप्रकाश मीणा को जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा ग्राम पंचायत धोवडा के संबंध में प्राधिकार पत्र संख्या 1036/2008 (पोश कोड 11450) उचित मूल्य दुकानदार के संबंध में जारी किया हुआ है। अपीलांट के प्राधिकार पत्र को जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 22.08.2023 से निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश खिलाफ कानून व वाकेयात के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट पिछले तीन सालों से लखवाग्रस्त (पेरालेसिस) बीमारी से ग्रसित हो गया, उक्त बीमारी संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज पेश किये जा चुके है। अपीलांट काफी लम्बे समय तक बीमार रहा तथा बीमारी के दौरान प्रार्थी मय परिवार के अस्पताल में ही भर्ती रहा। इस दौरान अपीलांट आवंटित राशन सामग्री का रिकार्ड संधारण नहीं कर सका। अपीलांट द्वारा राशन सामग्री में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं की गई है। तत्पश्चात अपीलांट ने बीमारी के दौरान दुकान पर लेटकर अपना कार्य सुचारू रूप से चालू रखा, लेकिन राजनैतिक षडयंत्र के तहत अपीलांट को नाजायज तरीके से परेशान करने की नियत से ग्राम पंचायत सरपंच से मिलीभगत करके अपीलांट के विरूद्ध कई प्रकार की शिकायतें लोगों से करवाई गई। अपीलांट के परिवार का जीविकोपार्जन उक्त प्राधिकार पत्र से संचालित उचित मूल्य की दुकान पर आधारित है, यदि प्राधिकार पत्र को बहाल नहीं किया गया तो अपीलांट का परिवार भूखों मर जावेगा। अपीलांट द्वारा वर्ष 2008 से सुचारू रूप से कार्य किया है इसमें किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं की है लेकिन बीमारी के दौरान ही उक्त वाकिया हुआ है। अपीलांट के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 22.08.2023 से 63 क्विंटल गेहू की रिकवरी भी निकाली जिसको अपीलांट नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.08.2023 निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 1036/2008 को बहाल फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार (रसद) ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि दिनांक 03.03.2023 को क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डोली बहमराह जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत धोवडा तहसील हिण्डोली (पोस कोड 11450) का औचक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान की पोस मशीन का स्टॉक देखा गया, जिसमे अवशेष राशन सामग्री 11995 कि.ग्रा. गेहूँ व 1037.35 कि.ग्रा.चीनी दर्ज थी किन्तु उचित मूल्य दुकान पर भौतिक रूप से गेहू व चीनी की कोई मात्रा उपलब्ध नहीं मिली। साथ ही उचित मूल्य दुकानदार द्वारा रजिस्टर का संधारण भी नहीं किया जा रहा था। उपभोक्ताओं को पोस मशीन की प्राप्ति

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

रसीद भी नहीं दी जा रही थी तथा उचित मूल्य दुकानदार पर प्रमाणितशुदा ई–कांटा भी उपलब्ध नहीं था। उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण उचित मूल्य दुकानदार श्री ओमप्रकाश मीणा का प्राधिकार पत्र संख्या 1036/2008 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया तथा उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर दिनांक 21.03.2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09.03.2023 को नोटिस जारी किया गया। साथ ही प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ताओं की सुविधा को मद्देनजर रखते हुये उक्त उचित मूल्य दुकान का अस्थाई अटैचमेंट श्री मोहम्मद सद्दीक आ0 पीरू मोहम्मद पोस कोड 2981 ग्राम पंचायत धोवडा के किया गया। निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार दिनांक 21.03.2023 को उपस्थित कार्यालय नहीं आये और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 24.4.023 के लिए पुनः नोटिस जारी किया गया, किन्तु नियत दिनांक 24.04.2023 को भी श्री ओमप्रकाश मीणा कार्यालय में उपस्थित नहीं हुऐ और न ही किसी प्रकार का लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। श्री ओम प्रकाश मीणा को बार बार निर्देशित करने पर भी पोस मशीन अस्थाई अटैच उचित मूल्य दुकानदार को सुपुर्द नहीं की गई और उपभोक्ताओं के अवैध ट्रांजेक्शन करता रहा। जिसकी उपभोक्ताओं द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई। उपभोक्ता राजूलाल सैनी के माह अप्रेल 223 में 20 किग्रा. तथा उपभोक्ता पप्पू मेघवाल के माह मार्च 2023 में 35 किग्राम गेहूँ अवैध ट्रांजेक्शन द्वारा निकाल लिये गये। सरपंच ग्राम पंचायत धोवडा द्वारा भी उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध अवैध तरीके से गेहू का गबन करने का आरोप लगाया गया तथा लाईसेंस निरस्त नहीं करने पर ग्रामवासियों द्वारा जन आन्दोलन करने की चेतावनी दी गई। श्री ओम प्रकाश को पुनः दिनांक 07.07.2023 को नोटिस जारी किया गया जिस पर श्री ओमप्रकाश दिनांक 25.07.2023 को उपस्थित हुये किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री ओमप्रकाश द्वारा दिनांक 12.08.2023 को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब भिजवाया जाकर नोटिस में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा भविष्य में सुधार करने का निवेदन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 02.08.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार निलम्बित डीलर श्री ओमप्रकाश मीणा द्वारा 6395 किग्रा गेहूँ खुद–बुर्द कर दिया गया। जिससे उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया गया, जिससे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 8, 11 व 17(ग) का उल्लंघन करना पाया गया है। जिस कारण उक्त प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया एवं अप्रार्थी की जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, जो उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। जिससे जाहिर आया कि श्री ओमप्रकाश मीणा को उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत धोवडा के लिए प्राधिकार पत्र संख्या 1036/2008 जारी किया हुआ था। प्रवर्तन निरीक्षक एवं जिला रसद अधिकारी बून्दी दिनांक 03.03.2023 को औचक निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत धोवडा पोस कोड 11450 में अनियमितताऐं पायी गयी। उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध शिकायतें राजस्थान सम्पर्क पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से की गई। सरपंच ग्राम पंचायत धोवडा द्वारा भी उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को गेहू का आवंटन नहीं किया जाकर राशन के गेहू को खुर्द–बुर्द करने की शिकायतें दी गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, किन्तु कई बार नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी श्री ओमप्रकाश मीणा द्वारा न तो नियत तिथि पर रसद कार्यालय में उपस्थित आये और न ही कोई जवाब ही प्रेषित किया गया। तदुपरान्त दिनांक 07.07.2023 को पुनः नोटिस जारी किये जाने पर उचित मूल्य दुकानदार श्री ओमप्रकाश मीणा द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब पेश किया जाकर नोटिस में वर्णित आक्षेपों को स्वीकार किया गया तथा भविष्य में सुधार करने का निवेदन किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार श्री ओमप्रकाश द्वारा अनियमितताओं के संबंध में की गई शिकायतों बाबत विभागीय कार्यवाही में पाये गये तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया। जिससे उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया गया, जिससे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 8, 11 व 17(ग) का उल्लंघन करना पाया गया है। जिस कारण उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं अपीलांट की जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने के प्रदान किये गये अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गयी।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा जारी नोटिस के आक्षेपों को अपीलांट द्वारा स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उचित मूल्य दुकानदार विभागीय निर्देशों एवं नियमों को मद्देनजर रखते हुये बिन्दुवार विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)